भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/147/2016/एफ.सी./96 दिनांक 18.04.2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली के अन्तर्गत दिवालीखाल किमोली से नारायणबगड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/11039/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 01.08.2016 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी जिसकी अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष बीत जाने के पश्चात अपने पत्र दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रस्तुत की है। चूँकि मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा निदेर्शो के अनुसार प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम में मार्गदर्शी के पैरा 4.14 के तहत दिनांक 25.09.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) में बन्द कर दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुवों के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर भी आवश्यक जानकारी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

1. As per perusal of KML file of the road, it is seen that the road cuts through dense forest including felling of 1190 trees but seems to be connected form other sides from the road network.
   Action Required:- State Government may calrify that what is the requirement of this alignment while the targated population is already connected with road network.

2. In reply to point No. 06, digital map of the road is not c/s by DFO.
   Action Required:- The State Government may submit the geo-referenced digital map for the area proposed for diversion duly C/S by the DFO.

3. Reply to point No. 08, 10, 12, 18 and 19 of previous EDS still not corrected.
   Action Required:- State Government may submit the reply to the said points.

4. In reply to point No. 09, C/B analysis now required in new format.
   Action Required:- State Government may submit the C/B analysis in new prescribed format.

Cont...

5. In reply to point No. 14 and 18, CA area seems to be changed from Kimtoli to Gherburg but revised CA scheme is not submitted/ uploaded along with site suitability certificate.
Action Required:- State Government may submit original copy of CA scheme and upload the same at para 13 Part II online along with site suitability certificate.

भवदीय,

18/4/15

(डॉ0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

2. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

18/4/15

(डॉ0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 मिस/II/ROC/COP/2013/1101 दिनांक: 25/09/2017

सेवा में,

मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय : वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में इस कार्यालय द्वारा वांछित सूचनाएं/जानकारी तीन माह (90 दिन) से अधिक समय में न प्राप्त होने पर प्रस्तावों का वन संरक्षण अधिनियम,1980 की धारा 4.14 के तहत बन्द किए जाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.08.2017 द्वारा नोटिस दिया गया था कि वन संरक्षक अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये ऐसे प्रस्ताव, जिनमें इस कर्यालय द्वारा मांगी गई वांछित सूचनाए/दस्तावेज 90 दिनों के उपरांत भी इस कर्यालय में प्रेषित नहीं किये गए हैं, को वन संरक्षक अधिनियम की धारा 4.14 के तहत बन्द क्यों न कर दिया जाए, जिस बाबत राज्य सरकार को वांछित सूचनाओं को इस कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय भी दिया गया था।

चूंकि दिये गये 30 दिनों के समय के उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर वांछित सूचनाएं/दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं करा सकी है, अतः ऐसे 293 प्रस्तावों (सूची संलग्न) को वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी के पैरा 4.14 के तहत बन्द किया जाता है। कृपया सुनिश्चित कर ले कि इन प्रस्तावों पर किसी भी प्रकार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है। यदि किसी भी प्रकार का कार्य प्रस्तावित प्रकरण में होता है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारियों की होगी।

भवदीय,
c/c
(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड सरकार, 85 राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी ,वन विभाग, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आदेश पत्रावली।

c/c
(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक